दिनांक 21.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 34/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

पुलिस मुख्यालय में 11 वें ''अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस'' के अवसर पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन

आज दिनॉकः 21.06.2025 को 11 वें **''अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस''** के अवसर पर प्रातः 06.00 बजे पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर के प्रांगण में सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष की थीम **"Yoga For One Earth, One Health" "एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग"** रखा गया है।

इस अवसर पर **श्री राजीव कृष्ण**, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक पीएचक्यू, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण निदेशालय, अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक, अपर पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवायें, अपर पुलिस महानिदेशक अपराध, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन सहित मुख्यालय के विभिन्न इकाईयों में नियुक्त पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

योगाभ्यास के दौरान सर्वश्रेष्ठ योग प्रदर्शन करने वाले श्री राजकुमार अपर पुलिस महानिदेशक लॉजिस्टिक को **प्रथम**, श्री चन्द्र प्रकाश पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण को **द्वितीय** एवं श्री पूणेन्दु सिंह अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस महानिदेशक के स्टॉफ अफसर को **तृतीय** स्थान हेतु चयनित किया गया। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान हेतु चयनित अधिकारियों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा विशिष्ट प्रशस्ति–पत्र प्रदान किया गया।

योगाभ्यास कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस कार्मिकों को योग के महत्व एवं फायदों से अवगत कराते हुये उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ्य एवं निरोगी रहने हेतु नियमित योगाभ्यास के लिये प्रोत्साहित किया गया।

One Earth, One Health
2025

One Earth, One Health
2025

दिनांक 21.06.2025
प्रेस विज्ञप्ति 35/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

एसटीएफः हत्या, डकैती, लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाला सरगना एवं जनपद मुजफ्फरनगर के 05 अभियोगों में वांछित रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख) का पुरस्कार घोषित अपराधी विनोद गडरिया एसटीएफ के साथ हुई साहसिक मुठभेड में घायल, इलाज के दौरान मृत्यु।

दिनांकः 20–06–2025 को, जनपद बुलन्दशहर उ0प्र0 के थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में एस0टी0एफ0 के साथ हुई एक साहसिक मुठभेड़ में हत्या, डकैती, लूट, आदि की दर्जनों घटनाओं को अंजाम देने वाला एंव जनपद मुजफ्फरनगर से वांछित रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख रूपये) का पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी विनोद गडरिया घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी।

मृतक अभियुक्त का विवरणः–

विनोद गडरिया पुत्र सीताराम निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान, थाना कैराना, जनपद शामली

मृतक अभियुक्त से बरामदगीः–

1– 01 अदद पिस्टल 30 बोर

2– 01 अदद पिस्टल 32 बोर

3– 12 अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर के

4– 07 अदद जिन्दा कारतूस 30 बोर के

5– 05 अदद खोखा कारतूस 32 बोर के

6– 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

7– 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर का

8– 01 अदद तमंचा 315 बोर

9– 01 अदद मोटर साईकिल स्पेलेन्डर (बिना नम्बर की)

10– 01 अदद हेलमेट

11– 01 अदद पिटटू बैंग

घटनास्थल का दिनांक समय/स्थानः–

दिनांक 20–6–2025 समय लगभग 20.20 बजे, जनपद बुलन्दशहर से अनूपशहर जाने वाले मार्ग के पास, थाना जहॉगीराबाद, बुलन्दशहर क्षेत्र।

उल्लेखनीय है कि एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी समय से फरार एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूंचनाऐं प्राप्त हो रही थी, जिसके सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन कर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक श्री केशव शांडिल्य, एसटीएफ नोएडा के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही पूर्व से की जा रही थी तथा अभिसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया।

एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम दिनांक 20–06–2025 को फरार एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी तथा पतारसी, सुरागरसी हेतु जनपद बुलन्दशहर में भ्रमणशील थी तो उसी दौरान एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि डकैती के साथ हत्या सहित, दर्जनों डकैती व लूट की जघन्य घटनाओं को अंजाम देने वाला गैंग का सरगना पुरस्कार घोषित कुख्यात अपराधी विनोद गडरिया अपने साथी के साथ डकैती की घटना कारित करने जनपद बुलन्दशहर गया हुआ है तथा अनूपशहर जाने वाले मार्ग पर किसी से मिलने आने वाला है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एस0टी0एफ0 नोएडा की टीम द्वारा मुखबिर के बताये गये स्थान बुलन्दशहर से अनूपशहर जाने वाले मार्ग पर पहुॅचकर चौकिंग प्रारम्भ की गयी तो एक मोटर साईकिल पर दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिये, जिनको रोकने की कोशिश की गयी तो मोटर साइकिल सवारों ने तेजी से मोटर साइकिल बढ़ाते हुए एसटीएफ की टीम पर जान से मारने की नियत से अंधा–धुंध फायरिंग करते हुए भागने लगे। एसटीएफ की टीम द्वारा पीछा करने पर बदमाशों की मोटर साईकिल फिसलकर गिर गयी तथा बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक गोली उप निरीक्षक श्री केशव शांडिल्य द्वारा पहनी हुई बुलटप्रूफ जैकेट में लगी तथा कान्स0 सुमित एवं कान्स0 अनुज घायल हो गये, जिनको उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। तदोपरान्त एसटीएफ की टीम द्वारा साहस, संयम एवं व्यवसायिक दक्षता का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ संतुलित एवं नियंत्रित फायरिंग की गई, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी तथा एक बदमाश फायरिंग करते हुए व अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया। मृतक बदमाश को

मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए तत्काल उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहॉ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक बदमाश की शिनाख्त विनोद गडरिया पुत्र सीताराम निवासी ग्राम इस्सोपुर खुरगान, थाना कैराना, जनपद शामली के रूप में हुई। मौके से भागे बदमाश की तलाश की जा रही है।

मृतक बदमाश विनोद गडरिया की उम्र लगभग 48 साल है। प्रारम्भ में घरेलू विवाद के चलते इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी और फरारी के दौरान लूटपाट और डकैती की घटनाऐं कारित करने लगा, जिस दौरान यह मुनव्वर उर्फ मन्ना, सादाब सरधना और फुरकान आदि बदमाशों के सम्पर्क में आ गया। अपने साथ लड़के बदल–बदल कर घरो में डकैती की गंभीर घटनाओं को अंजाम देने लगा। यह अपराधी गैंग के साथ एकान्त में या बाहरी इलाके में पड़ने वाले घरो को निशाना बनाता था और घर में घुसकर परिजनों को बंधक बनाकर डकैती डालता था तथा परिजनों के साथ वीभत्स तरीके से मारपीट भी करता था।

मृतक बदमाश विनोद गडरिया की आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो ज्ञात हुआ कि मृतक बदमाश विनोद गडरिया वर्ष 2006 से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया था। इस मृतक अपराधी के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर जनपद मुजफ्फरनगर एवं आसपास के क्षेत्र में हत्या, डकैती, लूट, जैसी कई सनसनीखेज घटनाओं को अंजाम दिया गया। मृतक बदमाश विनोद गडरिया द्वारा की गयी घटनाओं में निम्न घटनाऐं प्रमुख रूप से हैं–

1– वर्ष 2006 में थाना रतनपुरी क्षेत्र में एक बस परिचालक का पैसो से भरा थैला लूट लिया गया था। इस सम्बन्ध में थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर पर मु0अ0स0 394/06 धारा 392/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ।

2– वर्ष 2006 में बदमाश विनोद गडरिया द्वारा अपने साथियों के साथ मिल कर एक घर में घुसकर जेवर व कैश लूट की घटना को कारित किया था तथा लूटपाट के दौरान किरायेदार राजकुमार की हत्या कर दी गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना बुढ़ाना, जनपद मुजफ्फरनगर में मु0अ0सं0 615/2006 धारा 460/411 भादवि पंजीकृत किया गया था।

3– वर्ष– 2011 में थाना बाबरी क्षेत्र में विद्युत उप संस्थान के कन्ट्रोल रूप के पैनल के केबल प्लेट खोलकर 100 के0जी0 कापर का केबल लूटा गया था। इस सम्बन्ध में थाना बाबरी, जनपद शामली पर मु0अ0स0 88/11 धारा 392/395/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ।

4— वर्ष 2012 में मृतक बदमाश विनोद गडरिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर थाना कोतवाली शामली क्षेत्र में डकैती की घटना कारित कर सोने, चॉदी के जवेरात एवं दो लाख रूपया कैश लूट लिया था। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0स0ं 250/12 धारा 120बी/382/395 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ।

5— वर्ष 2012 में थाना रतनपुरी क्षेत्र में वादी मुकदमा को बन्धक बनाकर निजानन्द आश्रम रतनपुरी से पूजा के आभूषण, जुगल जोड़ी तथा तीन लाख रूपया कैश लूटा गया। इस घटना के सम्बन्ध में थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर पर मु0अ0स0ं 58/12 धारा 392/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ।

6— वर्ष 2012 में मु0अ0सं0 490/2012 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना खतौली, जनपद मुजफ्फरनगर के मुकदमें मे विचारण के दौरान मा0 न्यायालय द्वारा 07 वर्ष की सजा सुनायी गयी थी।

7— दिनांक 21—07—2024 की रात्रि में थाना ककरोली क्षेत्र में एक मकान में घुसकर सोने, चॉदी के जवेरात एवं नकद रूपये लूट लिये गये थे। इस सम्बन्ध में थाना ककरोली, मुजफ्फरनगर पर मु0अ0स0ं 143/24 धारा 310(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत है।

8— दिनांक 16—11—2024 की रात्रि में थाना मन्सूरपुर क्षेत्र में एक परिवार को गन पाइंट पर लेकर सोने चॉदी के जेवरात तथा नकद कैश लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना मन्सूरपुर, मुजफ्फरनगर पर मु0अ0स0ं 320/24 धारा 310(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत हुआ।

9— दिनांक 20—11—2024 की रात्रि में थाना शाहपुर क्षेत्र में एक मकान में घुसकर सोने, चॉदी के जेवरात तथा एक लाख रूपया कैश लूट लिया गया था। इस घटना के सम्बन्ध में शाहपुर, मुजफ्फरनगर पर मु0अ0स0ं 361/24 धारा 310(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत हुआ।

10— वर्ष 2025 में थाना रतनपुरी क्षेत्र में सोने, चॉदी के जेवरात एवं नकदी लूट की घटना कारित की गयी, जिसके सम्बन्ध में थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर पर मु0सं0सं0 76/25 धारा 309(6) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत हैं ।

मृतक बदमाश विनोद गडरिया मु0अ0सं0 371/24 धारा 109(1), 310(4), 310(5), 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना शाहपुर, मु0अ0सं0 420/24 धारा 310(2) बीएनएस थाना नई मण्डी, मु0अ0सं0 320/24 धारा 310(2) बीएनएस थाना मन्सूरपुर, मु0अ0सं0 361/24 धारा 310(2) थाना शाहपुर तथा मु0अ0सं0 143/24 धारा 310(2) बीएनएस थाना ककरोली, जनपद मुजफ्फरनगर के अभियोगों में वांछित एवं फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन, मेरठ के पत्र संख्याः सीआर–46(ZUF-02)2025/2262, दिनांक 30–03–2025 के द्वारा रूपया 1,00,000/– (एक लाख) का पुरस्कार घोषित किया गया था। मृतक बदमाश विनोद गडरिया की अन्य आपराधिक गतिविधियों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

मृतक अभियुक्त विनोद गडरिया, उपरोक्त के सम्बन्ध में अब तक की गई छानबीन से निम्नवत् आपराधिक इतिहास प्राप्त हुआ हैः–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	88/11	392/395/411 भादवि	बाबरी	शामली
2	489/11	395/412 भादवि	कैराना	शामली
3	533/11	120बी/392 भादवि	कैराना	शामली
4	09/12	380 भादवि	फुगाना	मुजफ्फरनगर
5	58/12	308/392/411/457 भादवि	रतनपुरी	मुजफ्फरनगर
6	109/12	342/392/395/461/506 भादवि	रतनपुरी	मुजफ्फरनगर
7	148/12	395/411 भादवि	शाहपुर	मुजफ्फरनगर
8	200/12	395/397/412 भादवि	रमाला	बागपत
9	250/12	120बी/382/395 भादवि	कोतवाली शामली	शामली
10	290/12	380 भादवि	शाहपुर	मुजफ्फरनगर
11	460/12	395/397/412 भादवि	खतौली	मुजफ्फरनगर

12	489 / 12	147 / 148 / 149 / 307 भादवि	खतौली	मुजफ्फरनगर
13	490 / 12	25 / 27 आर्म्स एक्ट	खतौली	मुजफ्फरनगर
14	590 / 12	2 / 3 गैगस्टर एक्ट	खतौली	मुजफ्फरनगर
15	202 / 06	307 / 323 / 393 भादवि	मन्सुरपुर	मुजफ्फरनगर
16	163 / 06	379 / 392 / 411 भादवि	फुगाना	मुजफ्फरनगर
17	394 / 06	353 / 379 / 411 भादवि	रतनपुरी	मुजफ्फरनगर
18	599 / 06	395 / 397 भादवि	तितावी	मुजफ्फरनगर
19	615 / 06	460 / 411 भादवि	बुढाना	मुजफ्फरनगर
20	616 / 06	147 / 148 / 149 / 307 भादवि	मन्सुरपुर	मुजफ्फरनगर
21	617 / 06	25 / 27 आर्म्स एक्ट	बुढाना	मुजफ्फरनगर
22	680 / 06	25 आर्म्स एक्ट	बुढाना	मुजफ्फरनगर
23	101 / 07	386 / 506 भादवि	भौराकला	मुजफ्फरनगर
24	294 / 07	2 / 3 गैगस्टर एक्ट	बुढाना	मुजफ्फरनगर
25	501 / 20	307 / 147 / 148 / 149 भादवि	कोतवाली	शामली
26	01 / 21	307 / 34 भादवि	कोतवाली शामली	शामली
27	02 / 21	414 भादवि एवं 41 / 102 दप्रसं	कोतवाली शामली	शामली
28	03 / 21	3 / 25 / 27 आर्म्स एक्ट	कोतवाली शामली	शामली
29	143 / 24	310(2), 317(3), 331(4) बीएनएस	ककरोली	मुजफ्फरनगर
30	252 / 24	305 / 331(4) बीएनएस	खानपुर	हरिद्वार
31	290 / 24	303(2), 317(2) बीएनएस	खानपुर	हरिद्वार
32	320 / 24	310(2) 317(3) बीएनएस	मन्सुरपुर	मुजफ्फरनगर

33	361/24	310(2) 17(3) बीएनएस	शाहपुर	मुजफ्फरनगर
34	371/24	109(1), 310(4), 310(5) बीएनएस एवं 25/27 आम्स एक्ट	शाहपुर	मुजफ्फरनगर
35	420/24	331(4), 305 बीएनएस	नई मण्डी	मुजफ्फरनगर
36	70/25	309(4) बीएनएस	शाहपुर	मुजफ्फरनगर
37	76/25	309(6) बीएनएस	रतनपुरी	मुजफ्फरनगर
38	83/25	126(2), 309 (4) बीएनएस	शाहपुर	मुजफ्फरनगर
39	170/25	115(2), 309(4), बीएनएस	नई मण्डी	मुजफ्फरनगर
40	329/25	109(1) बीएनएस एवं 3/205/27 आर्म्स एक्ट	जहाँगीराबाद	बुलन्दशहर

उपरोक्त मुठभेड़ के सम्बन्ध में थाना जहाँगीराबाद, जनपद बुलन्दशहर पर मु0अ0स0 329/25 धारा 109(1) बीएनएस एवं 3/205/27 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

एएनटीएफ–दिनांक 20.06.25 को एएनटीएफ यूनिट बरेली द्वारा मणिपुर से मार्फीन लाकर तस्करी कर रहे सक्रिय गिरोह के 05 सक्रिय तस्कर को गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 किलो 555 ग्राम अवैध मॉर्फीन (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 03 करोड रुपये) 06 अदद मोबाईल फोन व 01 अदद फॉर्चूनर गाडी 5260 रुपये नगद बरामद किया गया ।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ, अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0, लखनऊ के मार्गदर्शन एवं पुलिस महानिरीक्षक, ए0एन0टी0एफ0, उ0प्र0, लखनऊ के निर्देशन व पुलिस अधीक्षक (ऑपरेशन), ए0एन0टी0एफ0 मुख्यालय, लखनऊ के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक,

ए0एन0टी0एफ0, ऑपरेशनल यूनिट मेरठ के पर्यवेक्षण में एएनटीएफ यूनिट बरेली द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 05 सक्रिय तस्कर 1–रोहित उर्फ कल्लू पुत्र राकेश नि0 शिवमंदिर के सामने मणिनाथ थाना सुभाषनगर जिला बरेली 2– मनोज राजपूत पुत्र रामलाल नि0 ग्रा0 मोहम्मदपुर थाना बिनावर जनपद बदांयू, 3– जोधा सिंह पुत्र लक्ष्मण नि0ग्रा0 सिटौरा थाना सुभाषनगर जनपद बरेली, 4–जतन कश्यप उर्फ जतिन पुत्र शिव सहाय नि0 ग्राम करतौली थाना बिनावर जनपद बदांयू व 5–पिंटू पुत्र मुंशी नि0ग्रा0 झौरैया थाना कोतवाली सिटी जनपद हरदोई को दिनांक 20.06.2025 को समय करीब 14.10 बजे थाना सफदरगंज क्षेत्र ग्राम छप्पा शुकुल पुरवा मे शाहपुर करेडा वाली चकरोड से गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगण के कब्जे से 01 किलो 555 ग्राम अवैध मॉर्फीन (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 03 करोड रुपये) 06 अदद मोबाईल फोन व 01 अदद फॉर्चूनर गाडी 5260/– रुपये नकद बरामद कर विधिक कार्यवाही की गयी । इस सम्बन्ध में थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी में मु0अ0सं0–309/2025 धारा 8/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट, 1985 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण–

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त मनोज के द्वारा बताया गया कि मैं तथा मेरा पार्टनर राजू राजपूत हम दोनो रोबिला रोजिन के माध्यम से हम आपस मे संपर्क में रहते हैं तथा रोबिला रोजिन को हम पैसे देकर उससे मार्फीन खरीदते हैं तथा इस कार्य के लिये हम दोनो कभी–कभी खुद या कभी जोधा तथा जतन कश्यप तथा पिंटू को भेजते हैं । लगभग 10 दिन पूर्व हमने इन तीनों को मणिपुर ये मार्फीन लाने के लिये पैसे देकर भेजा था, आज मार्फीन लेकर वापस आ रहें थें । मैनें इन तीनो को टोल प्लाजा से पहले इनको रिसिव किया था एवं वापस बरेली जा रहें थे कि आपकी टीम द्वारा पकड़ लिया गया । हम लोग मणिपुर से मार्फीन की तस्करी रेल मार्ग से किसी स्टेशन पर उतरकर वहाँ से बस/कार से बरेली जाकर मार्फीन बेचने का कार्य करते थे ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

1–रोहित उर्फ कल्लू पुत्र राकेश नि0 शिवमंदिर के सामने मणिनाथ थाना सुभाषनगर जिला बरेली ।

2–मनोज राजपूत पुत्र रामलाल नि0 ग्रा0 मोहम्मदपुर थाना बिनावर जनपद बदांयू ।

3–जोधा सिंह पुत्र लक्ष्मण नि0 ग्रा0 सिटौरा थाना सुभाष नगर जनपद बरेली ।

4–जतन कश्यप उर्फ जतिन पुत्र शिव सहाय नि0 ग्राम करतौली थाना बिनावर जनपद बदांयू ।

5–पिंटू पुत्र मुंशी नि0 ग्रा0 झौरैया थाना शहर कोतवाली जनपद हरदोई।

गिरफ्तारी का दिनांक/समय/स्थान

दिनांक–20.06.2025 समय– 14:10 बजे, स्थान– ग्राम छप्पा शुकुल पुरवा मे शाहपुर करेडा वाली चकरोड थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी ।

बरामदगी का विवरण–

1–01 किलो 555 ग्राम अवैध मॉर्फीन (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 03 करोड रूपये),

2. 06 अदद मोबाईल फोन,

3. 01 फार्चूनर गाडी,

4. 5260/–रूपये नगद बरामद

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम का विवरण–ए0एन0टी0एफ0 टीम यूनिट बरेली–

1–प्रभारी उ0नि0 श्री विकास यादव तैनाती ए.एन.टी.एफ. यूनिट बरेली

2– उ0नि0 रवि कुमार तैनाती ए.एन.टी.एफ थाना सहारनपुर ।

3– हे0का0 दिनेश कुमार तैनाती ए.एन.टी.एफ.यूनिट बरेली ।

4–का0 सौरभ चौधरी एएनटीएफ यूनिट बरेली ।

5–का0 अंकित यादव ए.एन.टी.एफ. यूनिट बरेली ।

6–का0 कुश कुमार ए.एन.टी.एफ यूनिट बरेली ।

7–का0 रसविन्द्र चौधरी ए.एन.टी.एफ. यूनिट बरेली ।

<u>सहयोगार्थ पुलिस टीम थाना–सफदरगंज जनपद बाराबंकी</u>

1. उ0नि0 श्री अभिमन्यु सिंह थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी ।
2. हे0का0 संतराम थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी ।

<u>सहयोगार्थ सर्विलांस टीम ए.एन.टी.एफ मुख्यालय लखनऊ</u>

1. एस.आई.एम राजेश मिश्रा (सर्विलांस प्रभारी) एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ ।
2. सर्विलांस टीम एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ ।

<u>जनपद संतकबीरनगर/थाना कोतवाली खलीलाबाद</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 21.06.20025 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अजगैबा घाट के पास बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त अबरार घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/नि"ाादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली खलीलाबाद पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–अबरार निवासी इस्लामनगर काजीपुर मगहर थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

<u>बरामदगी</u>

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सहारनपुर/थाना सदर बाजार

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 14 दो पहिया वाहन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 20/21.06.2025 की रात्रि थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जंधेड़ी वाले मिनी बाईपास चौराहा पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमा"ाों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–जगपाल उर्फ जग्गू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–ललित सहित गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशादेही पर अभियुक्त 3–हंसराज उर्फ चिन्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/नि"ाादेही से चोरी की 14 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जगपाल उर्फ जग्गू के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–जगपाल उर्फ जग्गू निवासी ग्राम शीतलपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

2–ललित निवासी ग्राम टोपरी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

3–हंसराज उर्फ चिन्ता निवासी ग्राम रूहाली दयालपुर थाना भगवानपुर जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1–चोरी की 14 दो पहिया वाहन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद श्रावस्ती/थाना सोनवा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 40 लाख रूपये (कीमत) को 200 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनॉकः 21.06.2025 को थाना सोनवा व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नासिरगंज के पास से अभियुक्त आकाश नाग उर्फ अन्नू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 40 लाख रूपये (कीमत) की 200 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद श्रावस्ती के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सोनवा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आकाश नाग उर्फ अन्नू निवासी नासिरगंज थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती।

बरामदगी

1—लगभग 40 लाख रूपये (कीमत) की 200 ग्राम अवैध स्मैक।

- **जनपद जौनपुर/थाना जलालपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना जलालपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि व 04 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त कमलेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————